

“बिजनेस पोस्ट के अस्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 264-अ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 अक्टूबर 2006—आश्विन 19, शक 1928

संसदीय कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2006

अधिसूचना

क्रमांक/743/एफ-2 (3)48/सं.का./06.—छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य, वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, छत्तीसगढ़ विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (रेल द्वारा निःशुल्क अभिवहन) नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में—

नियम 9 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के प्ररूप "क" के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाय, अर्थात् :—

भूतपूर्व सदस्यों द्वारा उपयोग में लाये गये रेल अभिवहन कूपनों द्वारा की गई यात्रा का विवरण

भूतपूर्व सदस्य का नाम लेखा क्रमांक

अनु- क्रमांक	रेल्वे कूपन पुस्तक क्रमांक	यात्रा की तारीख	कहाँ से	कहाँ तक	श्रेणी जिसमें यात्रा की गई	भूतपूर्व सदस्य के साथ जाने वाले व्यक्ति ने किस श्रेणी में यात्रा की	व्यय राशि	अन्य विशिष्टियाँ जैसे यात्रा का रद्दकरण या कूपनों की चोरी चले जाने के बाद में घोषणा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

यदि कूपन पुस्तक में कूपन शेष बचे हैं तो उसका मूल्य

तारीख :-

हस्ताक्षर,
भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा,

भारतवर्ष के अन्दर यात्रा हेतु जारी किये गये

कुल रेल्वे कूपन पुस्तकों की संख्या
कुल राशि रु.

लिपिक

अधिकारी

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उप-सचिव.

If the coupons remain in the coupon books, the value thereof

Date

Signature
Ex-member of Legislative Assembly

Issued for travel within India.

No. of Railway Coupon Books issued
Worth to Rs.

Clerk

Officer

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. P. SHRIVASTAVA, Deputy Secretary